संख्या- 15/रिट 16/84-2-2013-रिट 4/2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 12 सितम्बर, 2013

विषय सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या - 4966 (एस/एस)/13 लल्लन कुमार बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको भी सम्बोधित श्री डी0बी0 सिंह, स्टेट लॉ आफिसर, मुख्य स्थाई अधिवक्ता कार्यालय, मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के पत्र संख्या-एम 104330/सिविल/13, दिनांक 05-09-2013 की संलग्न छायाप्रति का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04-09-2013 को पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु पैरावाइज नरेटिव के साथ किसी भिज्ञ अधिकारी को भेजने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रीडर पद के नियुक्ति प्राधिकारी आप हैं तथा आपके द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेश को मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है। अतः कृपया प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in